



संदेश

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी अनुक्रम में 26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि संघ सरकार की राजभाषा हिंदी होगी एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी। हिंदी भारत के एक बड़े जनसमुदाय द्वारा बोली एवं समझी जाती है। हिंदी एक अत्यंत सरल, समृद्ध एवं सशक्त भाषा है और हमारी राष्ट्रीय पहचान है। हमारी सांस्कृतिक समृद्धि की प्रतीक है।

हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी है और विश्व में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषाओं में इसकी गिनती हो रही है। देश और विश्व स्तर पर हिंदी के महत्व को देखते हुए हम सभी का दायित्व है कि हिंदी की बहुमुखी प्रगति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। भारत की राजभाषा होने के नाते हिंदी हमारी अस्मिता से भी जुड़ी हुई है।

संघ की राजभाषा नीति का आधार यद्यपि सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है, फिर भी संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

जहां तक औषध विभाग का संबंध है, इसमें राजभाषा हिंदी के प्रयोग में वर्षानुवर्ष वृद्धि हो रही है फिर भी राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिक प्रयत्न अपेक्षित है। मैं इस विभाग में कार्यरत सभी वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि वे स्वयं अपना रोजमर्रा का सरकारी काम-काज मूल रूप से हिंदी में करने की पहल करें ताकि अन्य सभी कार्मिकों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिले।

आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम यह दृढ़ संकल्प लें कि हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य पूर्ण उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिंदी में ही करेंगे। आपके इस प्रयास में मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जय हिन्द


(जय प्रिय प्रकाश)